ए.

कुंजन सदाना और ए. एन. आर.

वी.

महेश कुमार और ओआरएस

(2019 की सिविल अपील संख्या 9312)

बी.

10 दिसंबर, 2019

[एस**.** अब्दुल नजीर और संजीव खन्ना**,** जे**.** जे**.]**

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:

घातक दुर्घटना-एक 19 वर्षीय कुंवारे की-मोटर वाहन के कारण-मृतक की माँ और भाई द्वारा मुआवजे का दावा-न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा दावेदार/माँ की उम्र के आधार पर 15 के गुणक का उपयोग करके दिए गए मुआवजे-सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजितः15 के गुणक को गलत तरीके से आश्रित की उम्र को अपनाकर लागू किया गया था न कि मृतक की-उच्च न्यायालय ने भी मृतक की भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया-मृतक की उम्र को देखते हुए, मुआवजे की गणना करते समय साबित आय का अतिरिक्त 40 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए-इस प्रकार, 18 के गुणक को लेते हुए, मृतक की भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, और पारंपरिक शीर्षों के तहत आगे की राशि प्रदान करते हुए, मुआवजे की राशि को और बढ़ाया जाता है।

सी.

डी.

ई.

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए**,** न्यायालय ने

पकड़नाः**1.** उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाते हुए मृतक की भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया।अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि मृतक स्व**-**नियोजित

था।चूंकि मृतक की आयु **19** वर्ष थी**,** इसलिए मुआवजे की गणना करते समय साबित आय का अतिरिक्त **40** प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए।इसके अलावा**,** उक्त राशि का **50** प्रतिशत उसके व्यक्तिगत खर्चों के बदले में काटा जाना चाहिए जो वह जीवित होता तो कुंवारे के रूप में खुद को बनाए रखने के लिए करता।**[**पारस **8** और **9] [1131-**बी**-**सी**-**ई**]**

एफ.

जी.

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी

और अन्य (2017) 16 एस. सी. सी. 680-इसके बाद।

2. उच्च न्यायालय ने मृतक का मासिक वेतन ठीक ही निर्धारित किया है। **3, 918**।इसके अलावा**,** वास्तविक का **40** प्रतिशत

एच.

1128 ए.

1129

कुंजन सदाना और ए. एन. आर. बनाममहेश कुमार और ओआरएस ए

मृतक की वेतन आय को मृतक की भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जाना चाहिए**,** क्योंकि उसकी आयु **40** वर्ष से कम थी।**[**पैरा **12] [1133-**ई**]**

3. उच्च न्यायालय ने **'15'** पर गुणक लागू किया**,** क्योंकि इसने मां की उम्र को ध्यान में रखा**,** न कि मृतक की उम्र को।भले ही मृतक कुंवारा हो**,** गुणक को अपनाने के लिए उसकी उम्र को ध्यान में रखना पड़ता है।**[**पैरा **10] [1131-**एफ**-**जी**]**

बी.

रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मंडला यादगारी गौड़ और अन्य (2019) 5 एससीसी

554- पर भरोसा किया।

सी.

4. चूँकि मृतक अविवाहित था**,** इसलिए उसकी सकल आय का **50** प्रतिशत व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए काटा जाना चाहिए।इस प्रकार**,** निर्भरता के नुकसान के लिए दावेदारों को देय मुआवजा रु। **5,92,488-(2,743 x 12 x 18 = रु. 5,92,488-)**।इसके अलावा**,** दावेदार पारंपरिक शीर्षों के तहत **Rs.70,000/-** की राशि के भी हकदार हैं।इस

प्रकार, दावेदारों को देय कुल मुआवजा रु। **6,62,448-**।रुपये की राशि। **5,02,620-** उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त, उपरोक्त राशि से काटना पड़ता है, इसलिए, दावेदारों को देय शेष मुआवजा रु**. 1,59,868-**आता है, जो कुल मिलाकर रु**. 1,60,000-**।तीसरे उत्तरदाता/बीमा कंपनी को रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। **1,60,000-**दावा याचिका की तारीख से जमा की तारीख तक **7** प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज के साथ।**[**पारस **12-14] [1132-F-H; 1133-A-B]**

डी.

ई.

मामला कानून संदर्भ

एफ.

(2017) 16 एससीसी **680**

पीछा किया।

पैरा **8**

(2019) 5 एस**.** सी**.** सी**. 554**

उस पर भरोसा करें

पैरा **10**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2019 की सिविल अपील संख्या 9312।

एम. ए. सी. में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 08.08.2017 के निर्णय और आदेश से। 2009 की अपील सं. 479 राहुल मोहोद, राजू सोनकर, संजय सैनी, शेखर अग्रवाल, करुणाकर महालिक, अधिवक्ता।अपीलार्थीगण के लिए।

जी.

डॉ. आनंद वर्धन शर्मा, अमित त्यागी, वी. के. वासुदेव, कैलाश प्रसाद पांडे, अधिवक्ता। प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

एच.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. अब्दुल नजीर, जे.

1. देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

3. दिल्ली उच्च न्यायालय के 2009 के निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाले दावेदारों द्वारा तत्काल अपील दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय ने आंशिक रूप से अपील की अनुमति दी है और इसके परिणामस्वरूप मुआवजे की राशि को 3,72,620-से बढ़ाकर 5,02,620-कर दिया है।अपीलार्थीगण ने मुआवजे को और बढ़ाने की मांग करते हुए यह अपील दायर की है।4. अपीलार्थीगण मृतक की विधवा माँ और छोटा भाई (एक नाबालिग) हैं।प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीृप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीशप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीशप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीफप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी9 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीषप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीआप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीटप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीदप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीघप्रत्यर्थीटप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थींप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीघप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थी8 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी.प्रत्यर्थी2 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी7 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी,प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीखप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीD प्रत्यर्थीL प्रत्यर्थी-प्रत्यर्थी1 प्रत्यर्थीP प्रत्यर्थीA प्रत्यर्थी-प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी4 प्रत्यर्थी0 प्रत्यर्थी3 प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीचप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीणप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीुप्रत्यर्थीईप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी।प्रत्यर्थी प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीिप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीउप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थींप्रत्यर्थीघप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीाप्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी

प्रत्यर्थीवप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीहप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीबप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीतप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीकप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीषप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीजप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीखप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीएप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीनप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीूप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीइप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीएप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी्प्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीरप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीसप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीपप्रत्यर्थीनप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीलप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीमप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीटप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीडप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीसप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीथप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीकप्रत्यर्थीप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी
प्रत्यर्थीगप्रत्यर्थीयप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी प्रत्यर्थीथप्रत्यर्थीप्रत्यर्थी।प्रत्यर्थीजैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, दावा याचिका को न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 06.06.2009 के पुरस्कार द्वारा आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी।इसके बाद, अपीलार्थीगण द्वारा दायर अपील को उच्च न्यायालय द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया।

बी.

सी.

डी.

ई.

5. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि मृतक की आयु 19 वर्ष थी, इसलिए इस आयु वर्ग के लिए लागू गुणक '18' है।हालाँकि, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने मृतक की माँ की उम्र के आधार पर गुणक '15' को अपनाया है।इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय मुआवजा देते समय भविष्य की संभावनाओं पर विचार करने में विफल रहा।बीमाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने इसमें विवादित निर्णय और आदेश को उचित ठहराने की कोशिश की है।

एफ.

6. न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए मुआवजे का सारांशः- ए.

क्रम संख्याः	विवरण	राशि
1	निर्भरता का नुकसान	3, 52 रुपये, 620.00
2	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 5, 000.00
3	संपत्ति, प्यार और	Rs.15,000.0

	स्नेह का नुकसान	0
कुल		3, 72 रुपये, 620.00

जी.

एच.

1131

कुंजन सदाना और ए. एन. आर. बनाममहेश कुमार और ओआरएस [एस. अब्दुल नजीर, जे.] ए.

7. निर्भरता के नुकसान की गणना करते समय रु। 3,52,620-न्यायाधिकरण ने मृतक की आय को रु. 3, 918/- प्रति माह।गुणक '15' को लागू करने के लिए माँ की आयु यानी 42 वर्ष पर विचार किया गया था।इसके अलावा, चूंकि मृतक कुंवारा था, इसलिए न्यायाधिकरण ने उसके व्यक्तिगत खर्चों के बदले में उसके वेतन में 50 प्रतिशत की कटौती की है।उच्च न्यायालय ने पुरस्कार को बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दिया था। 5,02,610-।

बी.

8. उच्च न्यायालय ने मुआवजे को बढ़ाते हुए मृतक की भविष्य की संभावनाओं पर विचार नहीं किया।अभिलेख पर मौजूद सामग्री से यह स्पष्ट होता है कि मृतक स्व-नियोजित था। संविधान

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड बनाम में इस न्यायालय की पीठ।

प्रणय सेठी और अन्य **1** ने मुआवजा देते समय भविष्य की संभावनाओं के संबंध में इस मुद्दे पर विचार किया है।यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:**-**

सी.

“ 59.4 यदि मृतक स्व**-**नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था**,** तो साबित आय का **40** प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु **40** वर्ष से कम थी।

40 वर्षों से।25 प्रतिशत की वृद्धि जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी और 10 प्रतिशत जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए।साबित आय का अर्थ है आय को कर घटक से घटाना।”

डी.

(जोर दिया गया) 9.तत्काल मामले में, क्योंकि मृतक की आयु 19 वर्ष थी, मुआवजे की गणना करते समय साबित आय का अतिरिक्त 40 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए।इसके अलावा,

उक्त राशि का 50 प्रतिशत उसके व्यक्तिगत खर्चों के बदले में काटा जाना चाहिए, जो वह जीवित होता तो कुंवारे के रूप में खुद को बनाए रखने के लिए खर्च करता।

ई.

एफ.

10. इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने '15' पर गुणक लागू किया, क्योंकि इसने मां की उम्र को ध्यान में रखा, न कि मृतक की उम्र को।रॉयल सुंदरम में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम मंडला यादगारी गौड़

और अन्य 2 ने माना कि भले ही मृतक कुंवारा हो, गुणक को अपनाने के लिए उसकी उम्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए।इस मामले में विचार के लिए प्रश्न निम्नानुसार थाः

जी.

“इन मामलों में, जो प्रति-अपील की प्रकृति में हैं, हमारे सामने एकमात्र कानूनी मुद्दा यह है कि मोटर के मामले में

1 (2017) 16 एससीसी 680 2 (2019) 5 एससीसी 554

एच.

दुर्घटना जहाँ एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जो अविवाहित है, चाहे मृतक की आयु हो या आश्रितों की आयु को गुणक की गणना के लिए ध्यान में रखा जाएगा।” इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया गया थाः

“12. हम इस बात से आश्वस्त हैं कि तीन न्यायाधीशों की पीठों के उपरोक्त निर्णयों द्वारा सुलझाए गए इस मुद्दे को एक बार फिर उठाने की आवश्यकता नहीं है और संविधान पीठ पर भी भरोसा किया जाना चाहिए कि यह मृतक की उम्र है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए न कि आश्रितों की उम्र।”

बी.

11. प्रणय सेठी (ऊपर) में संविधान पीठ ने भी पारंपरिक शीर्षों के तहत मुआवजे का आदेश दिया हैः- “ 59.8 पारंपरिक शीर्षों पर उचित आंकड़े, अर्थात् संपत्ति का नुकसान, संघ का

नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च क्रमशः Rs.15,000, Rs.40,000 और Rs.15,000 होना चाहिए।उपर्युक्त राशियों को हर तीन साल में 10 प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाना चाहिए।"

सी.

डी.

12. हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने मृतक का मासिक वेतन रुपये निर्धारित किया है। 3, 918।इसके अलावा, मृतक की वास्तविक वेतन आय का 40 प्रतिशत मृतक की भविष्य की संभावनाओं के लिए जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी। इसलिए, मृतक की सकल आय की गणना इस प्रकार की जानी चाहिएः

ई.

ए। व्यक्तिगत जीवन यापन के खर्चों में कटौती करने से पहलेःरु. 3, 918 + (मासिक आय का 40 प्रतिशत अर्थात रु। 1567/-) = रु। 5, 485/-

चूँकि मृतक अविवाहित था, इसलिए उसकी सकल आय का 50 प्रतिशत व्यक्तिगत जीवन व्यय के लिए काटा जाना चाहिए जिसकी गणना इस प्रकार की जानी चाहिएः

एफ.

बी।रु. 5,485-(5485 का 50 प्रतिशत) = रु. 2, 743/-

इस प्रकार, निर्भरता के नुकसान के लिए दावेदारों को देय मुआवजा रु। 5,92,488-(2,743 x 12 x 18 = रु. 5,92,488-)।इसके अलावा, दावेदार पारंपरिक शीर्षों के तहत Rs.70,000/- की राशि के भी हकदार हैं।इस प्रकार, दावेदारों को देय कुल मुआवजा रु। 6,62,448-।

जी.

13. रुपये की राशि। 5,02,620-उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त, उपरोक्त राशि से काटना पड़ता है, इसलिए, शेष ए

एच.

1133

कुंजन सदाना और ए. एन. आर. बनाममहेश कुमार और ओआरएस [एस. अब्दुल नजीर, जे.]

दावेदारों को देय मुआवजा रु। 1,59,868-, जो रु. 1,60,000-।

14. नतीजतन, अपील सफल हो जाती है और आंशिक रूप से इसकी अनुमति दी जाती है। तीसरे प्रतिवादी/बीमा कंपनी को रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। 1,60,000-दावा याचिका की तारीख से जमा की तारीख तक 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से सरल ब्याज के साथ।प्रतिवादी/बीमा कंपनी को इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष उपरोक्त राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है।प्रथम अपीलार्थी को उक्त राशि निकालने की अनुमति है।

बी.

15. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की आंशिक रूप से अनुमति है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.